

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

M/S Om Shree Enterprises, Prop.-Prasant Kumar Jha, Ward No.-14, Suro Ojha, Tola-Bachhwara, Distt.-Begusarai (सूचीबद्धता सं०-00207/2017) को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय के कार्यालय आदेश सं०-6-सह-पठित ज्ञापांक-78, दिनांक-08.06.2021 के द्वारा किये गये डिबार के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में डिबार मुक्त करने के संबंध में।

आदेश

M/S Om Shree Enterprises लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय अंतर्गत संवेदक / एजेन्सी M/S Om Shree Enterprises बेगुसराय को एकरारनामा संख्या-SBD-19/2019-2020 के तहत आवंटित कार्य ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्यालय आदेश सं०-6-सह-पठित ज्ञापांक-78, दिनांक-08.06.2021 के द्वारा अगले निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया था।

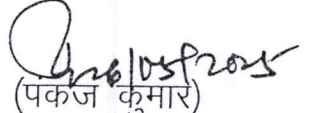
संवेदक द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय अन्तर्गत डिबार आदेश को निरस्त करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-10555/2024, M/S Om Shree Enterprises बनाम बिहार सरकार एवं अन्य दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-25.11.2024 को उक्त वाद में आदेश पारित किया गया। जिसका कार्यकारी भाग निम्नवत् है:-

As per our suggestion, there was a meeting with the officers of the petitioner and the respondents and settlement has been arrived at as is seen at Annexure-R/A series produced along with the supplementary counter affidavit dated 26.10.2024 filed by the 5th respondent.

2. In such circumstances, the terms of the said agreement is recorded as part of this judgment. The debarment as per Annexure-P/13 hence stands set aside. The parties shall comply with the terms of the agreement. The undertaking made by the petitioner before the respondents shall be scrupulously obeyed.

उक्त पारित आदेश के आलोक में वादी द्वारा विभाग को डिबार सूची से नाम हटाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसका अनुशंसा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर का पत्रांक-656, दि०-21.05.23 के द्वारा किया गया है।

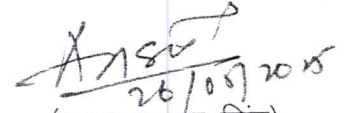
तदालोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में संवेदक से प्राप्त आवेदन एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय के कार्यालय आदेश सं०-6-सह-पठित ज्ञापांक-78, दिनांक-08.06.2021 के द्वारा संवेदक/एजेन्सी M/S Om Shree Enterprises, (सूचीबद्धता सं०-00207/2017) को अगले निविदा में भाग लेने से वंचित करने से संबंधित डिबार आदेश को इस शर्त के साथ रद्द किया जाता है कि उनके एकरारनामा के अधीन आच्छादित होने वाले कोई घर गृह जल संयोजन से वंचित न रहे।


(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-12/मुक0-133/2024- 775

पटना, दिनांक-27.5.25

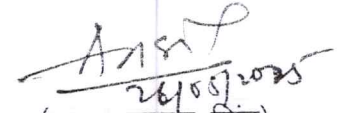
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/मुक0-133/2024- 775

पटना, दिनांक-27.5.25

प्रतिलिपि-सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

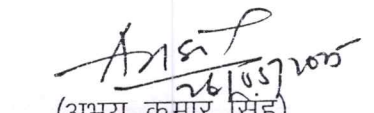

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post

ज्ञापांक-12/मुक0-133/2024- 775

पटना, दिनांक-27.5.25

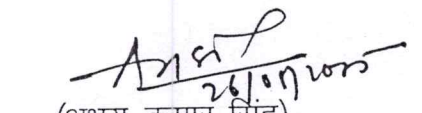
प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बेगुसराय/संवेदक/एजेन्सी, M/S Om Shree Enterprises, Prop.-Prasant Kumar Jha, Ward No.-14, Suro Ojha, Tola-Bachhwara, Distt.-Begusarai, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/मुक0-133/2024- 775

पटना, दिनांक-27.5.25

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)